इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 214] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 13 जुलाई 2023—आषाढ़ 22, शक 1945

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2023

क्र. 13133-मप्रविस-15-विधान-2023.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने **मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2023 (क्रमांक 12 सन् 2023)** को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तदनुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १२ सन् २०२३

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-३) विधेयक, २०२३

वित्तीय वर्ष २०२३-२०२४ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-३) अधिनियम, २०२३ है.

वित्तीय वर्ष २०२३-२०२४ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये २,७७,१८,७४,८७,८०० का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये सत्ताईस हजार सात सौ अठ्ठारह करोड़ चौहत्तर लाख सतासी हजार आठ सौ होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत् वित्तीय वर्ष २०२३-२०२४ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दिए जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन		(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियाँ		
			विधान सभा द्वारा मतदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
			रुपये	रुपये	रुपये
	. भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा				
		राजस्व	०	**७,६१,९०,००,८००**	७,६१,९०,००,८००
००१.	सामान्य प्रशासन				
		राजस्व	२,८१,६०,०००	**२१,००,०००**	३,०२,६०,०००
		पूंजी	८,५९,२०,०००	**०**	८,५९,२०,०००
००२.	विमानन				
		राजस्व	१०,००,००,०००	**०**	१०,००,००,०००
००३.	गृह				
		राजस्व	२०,३५,२२,७००	०	२०,३५,२२,७००
		पूंजी	२४,००,००,१००	०	२४,००,००,१००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	रुपये	रुपये
००५.	जेल				
		राजस्व	२,००,०००	०	२,००,०००
००६.	वित्त				
		राजस्व	२,००,००,०००	०	२,००,००,०००
००७.	वाणिज्यिक कर				
		राजस्व	१,१०,००,००,१००	०	१,१०,००,००,१००
००८.	भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय				
		राजस्व	१००	०	१००
०१०.	वन				
		राजस्व	३५,४१,०६,२००	०	३५,४१,०६,२००
		पूंजी	९८,२७,००,०००	०	९८,२७,००,०००
०१२.	ऊर्जा				
		राजस्व	३१,९०,००,००,०००	०	३१,९०,००,००,०००
०१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास				
		राजस्व	७७,४६,५०,००,०००	०	७७,४६,५०,००,०००
०१४.	पशुपालन एवं डेयरी				
		राजस्व	२००	०	२००
०१७.	सहकारिता				
		पूंजी	५,००,००,००,०००	०	५,००,००,००,०००
०१८.	श्रम				
		राजस्व	३,१५,००,००,०००	०	३,१५,००,००,०००
०१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण				
		राजस्व	९,२१,०५,५९,५००	०	९,२१,०५,५९,५००
		पूंजी	७१,७१,६६,६००	०	७१,७१,६६,६००
०२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी				
		राजस्व	४०,००,००,०००	०	४०,००,००,०००
०२२.	नगरीय विकास एवं आवास				
		राजस्व	१०,००,०१,४००	०	१०,००,०१,४००
		पूंजी	८,६०,००,०१,१००	१,४०,००,००,०००	१०,००,००,०१,१००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	रुपये	रुपये
०२३.	जल संसाधन				
		पूंजी	७,९०,७५,०१,३००	०	७,९०,७५,०१,३००
०२४	लोक निर्माण कार्य				
		राजस्व	३,०६,००,००,१००	०	३,०६,००,००,१००
		पूंजी	२४,१८,००,०२,७००	०	२४,१८,००,०२,७००
०२७.	स्कूल शिक्षा				
		राजस्व	१००	०	१००
		पूंजी	९००	०	९००
०२९	विधि और विधायी कार्य				
		राजस्व	५५,०१,५००	०	५५,०१,५००
०३०	ग्रामीण विकास				
		राजस्व	६३,००,००,०००	०	६३,००,००,०००
०३१	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी				
		राजस्व	५७,७५,००,०००	०	५७,७५,००,०००
०३२	जनसंपर्क				
		राजस्व	५७,००,००,०००	०	५७,००,००,०००
०३३	जनजातीय कार्य				
		राजस्व	१००	०	१००
		पूंजी	१०,५०,००,०००	०	१०,५०,००,०००
०३४	सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण				
		राजस्व	५,०५,००,००,०००	०	५,०५,००,००,०००
०३७.	पर्यटन				
		राजस्व	३८,५४,४००	०	३८,५४,४००
०३८.	आयुष				
		राजस्व	५,००,००,०००	०	५,००,००,०००
०३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण.				
		राजस्व	५,००,१६,८०,०००	०	५,००,१६,८०,०००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	रुपये	रुपये
०४०.	पंचायत				
		राजस्व	४,७०,००,००,०००	०	४,७०,००,००,०००
०४१.	प्रवासी भारतीय				
		राजस्व	२०,००,००,१००	०	२०,००,००,१००
०४३.	खेल और युवा कल्याण				
		राजस्व	२०,००,०१,०००	०	२०,००,०१,०००
०४५.	लोक परिसंपत्ति प्रबंधन				
		पूंजी	२५,००,००,०००	०	२५,००,००,०००
०४६.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी				
		राजस्व	६,००,०१,२००	०	६,००,०१,२००
		पूंजी	५००	०	५००
०४७.	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार.				
		पूंजी	२,७८,७४,५००	०	२,७८,७४,५००
०४८.	नर्मदा घाटी विकास				
		पूंजी	३९,९५,००,००,७००	०	३९,९५,००,००,७००
०४९.	अनुसूचित जाति कल्याण				
		राजस्व	३००	०	३००
		पूंजी	८,००,००,०००	०	८,००,००,०००
०५०.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण				
		राजस्व	७,५९,००,०००	०	७,५९,००,०००
०५२.	चिकित्सा शिक्षा				
		राजस्व	१,१०,००,००,१००	०	१,१०,००,००,१००
०५४.	पिछड़ा वर्ग कल्याण				
		राजस्व	२,५०,००,००,०००	०	२,५०,००,००,०००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	रुपये	रुपये
०५५.	महिला एवं बाल विकास				
		राजस्व	३०,५५,३३,३७,५००	०	३०,५५,३३,३७,५००
		पूंजी	१,६७,०८,९२,०००	०	१,६७,०८,९२,०००
	योग :	**राजस्व :**	१,७८,३६,९३,२६,६००	**७,६२,११,००,८००**	१,८५,९९,०४,२७,४००
		पूंजी :	८९,७९,७०,६०,४००	**१,४०,००,००,०००**	९१,१९,७०,६०,४००
		वृहद्-योग :	२,६८,१६,६३,८७,०००	**९,०२,११,००,८००**	२,७७,१८,७४,८७,८००

उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४(१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २०२३-२०२४ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ११ जुलाई, २०२३

जगदीश देवड़ा
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.